

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 235/2016/बीकानेर.

मैसर्स शिव शक्ति बिल्डर्स,  
सोनगिरी कुआ, बीकानेर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,  
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सियानन्दन शाह,  
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोकरणा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 07/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिन्हें आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 319/आरवेट/बीकानेर/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2015 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर, (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2012-13 आदेश दिनांक 13.11.2014 के लिये अधिनियम की धारा 24 के नियम 19ए के तहत आरोपित विलम्ब शुल्क राशि रूपये 5,550/- की पुष्टि की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही रिटर्न वैट-10 विलम्ब से प्रस्तुत किया, जिससे कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 13.11.2014 को अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण कर विलम्ब शुल्क राशि रूपये 5,550/- का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का तिमाही रिटर्न पेश करने का दायित्व नहीं बनता है, क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी को ई.सी. रिटर्न का लाभ प्राप्त है इस कारण उनके द्वारा वैट-11 प्रस्तुत किया जाना होता है, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा भूलवश वैट-10 प्रस्तुत कर दिया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने विलम्ब से पेश मानकर विलम्ब शुल्क का आरोपण कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जावे। अपीलार्थी व्यवहारी अधिनियम की नियम 19 की परिभाषा के अंतर्गत आता है अतः उस पर वैट 10 का दायित्व नहीं बनता है इस कारण आरोपित विलम्ब शुल्क रूपये 5550/- अविधिक होने के कारण अपास्त किये जाने का निवेदन किया।
5. अपने कथन के संदर्भ में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि बिना कानून की

लगातार.....2

आज्ञा के किसी भी तरह का अधिकार शास्ति आरोपण या विलम्ब शुल्क के लिये प्रयोग में नहीं लिया जा सकता एवं शास्ति एवं विलम्ब शुल्क के मामलों में स्पष्ट प्रावधानों के अधीन ही कार्य करने की शक्तियां प्राप्त है। आगे उन्होंने बिना किसी नोटिस एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिये पारित आदेश को अपास्त किये जाने का भी अनुरोध किया। अन्त में उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम के नियम 19ए के तहत विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर विलम्ब शुल्क का आरोपण किये जाने के प्रावधान है। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के रिटर्न देरी से प्रस्तुत किये, अतः उन पर आरोपित शास्ति विधिक है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के निर्णयों को यथावत् रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को यथावत् रखने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही रिटर्न वैट-10 विलम्ब से प्रस्तुत किया, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी को ई.सी. रिटर्न का लाभ प्राप्त है, इस कारण उनके द्वारा वैट-11 प्रस्तुत किया जाना होता है, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा भूलवश वैट-10 प्रस्तुत कर दिया। ई.सी. के लाभ लेने वाले व्यापारियों के लिए अधिनियम के नियम 19 को उल्लेखित किया जा रहा है-

19 Returns -

(4) Return in Form VAT-11 shall be submitted, within ninety days of the end of the relevant year, by the following class of dealers.

(v) which are exempted under sub section (3) of section 8 on the condition of payment of exemption fee;

8. उपरोक्त विधिक स्थिति के अनुसार यदि व्यवसायी ई.सी. के तहत लाभ ले रहा है, तो उसको वार्षिक विवरण वैट-11 भरने का दायित्व बनता है। यदि वैट-11 भी निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं की गई है, तो नियमानुसार लेट फीस का आरोपण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

7/9/17  
(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य